मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन

आदिम जाति कल्याण विभाग

दिनांक: 21-07-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1131	ध्यानाकर्षण (सूचना क्रं.238) दि. 21-07-2017 (श्री निशंक कुमार जैन)	श्री सुरेन्द्र सिंह भंडारी, अपर संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं भोपाल के विरूद्ध 68 करोड़ रूपये का अनियमित रूप से दोहरा आहरण किये जाने के मामले में थाना जहांगीराबाद भोपाल में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 889/13 में चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने के उपरांत शासनादेश के अनुसार तत्काल निलंबित किया जाना एवं माननीय न्यायालय से एक अन्य आत्महत्या के मामले में स्थगन आदेश को इस गबन के मामले में स्थगन बताए जाने की जांच समय-सीमा में कराई जाकर जांच निष्कर्ष के आधार पर विधिसम्मत् कार्यवाही किया जाना।	(1) श्री भंडारी का प्रतिवाद उत्तर प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। (2) जहां तक 68 करोड़ का मामला है। मैं बहुत ही स्पष्ट कह रहा हूँ कि 2 महीने के अंदर, इसमें जो भी जांच चल रही है। (3) हमने उस पर जांच बैठा दी है। आयुक्त जांच कर रहे हैं। (4) केवल 2 महीने में पूरी जांच करके अंतिम बिंदु पहुंचेंगे। अगर दोषी होंगे तो निलंबित भी होंगे और एफआईआर भी होगी। (5) विभागीय जांच संस्थित की गई है। उनको नोटिस दिया गया है। (6) यदि 15 दिवस के अंदर उनका जवाब संतोषजनक नहीं आता है तो हम उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। (7) 15 दिनों में यदि जांच नहीं होती है तो कार्यवाही करेंगे। (8) पूरी जांच, दोनों चीजें एक महीने के अंदर करके विधायक जी को सूचना दूंगा। (9) <u>आसंदी से निर्देश</u> :- जो मंत्री जी ने कह दिया उसके अनुसार एक महीने के अंदर कार्यवाही हो जाएगी।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन

चिकित्सा शिक्षा विभाग | दिनांक: 21-07-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1132	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.17 (प्रश्न क्रं.396) दि. 21-07-2017 (श्री शैलेन्द्र जैन)	बुन्देलखण्ड मेडिकल कॉलेज, सागर, में नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किया जाना तथा एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध कराया जाना।	जी हॉं। एम्बुलेंस के क्रय सम्बन्धी प्रक्रिया जारी है।		
1133	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.98 (प्रश्न क्रं.1676) दि. 21-07-2017 (पं. रमाकान्त तिवारी)	भोपाल के हमीदिया चिकित्सालय के अधीक्षक द्वारा मरीजों एवं कर्मचारियों से किए जा रहे दुर्व्यवहार एवं अशोभनीय टिप्पणी के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच एवं कार्यवाही।	(1) जी हॉं। (2) कार्यवाही प्रचलन में है, जी हॉं। समयावधि बताना संभव नहीं है।		
1134	अतारांकित प्रश्न सं.103 (प्रश्न क्रं.1659) दि. 21-07-2017 (श्री सचिन यादव)	इंदौर स्थित एम.वाय. अस्पताल में 21, 22 जून 2017 की मध्यरात्रि को मरीजों की मृत्यु होने के कारणों की जांच एवं जांच में दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	प्रबंधन द्वारा ऑक्सीजन सप्लाय सिस्टम की जॉंच हेतु अधिष्ठाता, इन्दौर द्वारा गठित जॉंच समिति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
1135	अतारांकित प्रश्न सं.110 (प्रश्न क्रं.1681) दि. 21-07-2017 (श्री सूबेदार सिंह रजौधा)	भोपाल स्थित हमीदिया चिकित्सालय में एच.आई.एम.एस. की स्थापना संबंधी कार्य राज्य शासन द्वारा अधिकृत एजेंसियों से कराया जाना।	कार्य प्रचलन में है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग | दिनांक: 21-07-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1136	ध्यानाकर्षण (सूचना क्रं.108) दि. 21-07-2017 (श्री अशोक रोहाणी)	जबलपुर जिले के केण्ट विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्तियों को वितरित पट्टों का नवीनीकरण किया जाना।	(1) इस संबंध में हम समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के उद्देश्य से शीघ्र ही विस्तृत निर्देश समय सारणी के साथ भी जारी कर देंगे। (2) दिसंबर 2014 तक के कब्जों के पट्टे दिये जाने के निर्देश जारी किये जा चुके हैं। (3) उनका परीक्षण करके नियमानुसार नवीनीकरण किया जाएगा।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन

पर्यटन विभाग

दिनांक: 21-07-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1137	तारांकित प्रश्न सं.25 (प्रश्न क्रं.951) दि. 21-07-2017 (श्री अनिल जैन)	टीकमगढ़ जिले के विधान सभा क्षेत्र निवाड़ी अंतर्गत ओरछा व गढ़ कुण्डार पर्यटन स्थलों के अपूर्ण कार्यो को शीघ्र पूर्ण कराया जाना	अपूर्ण कार्य शीघ्र पूर्ण किया जावेगा।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग | दिनांक: 21-07-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
1138	अतारांकित प्रश्न सं.108 (प्रश्न क्रं.1679) दि. 21-07-2017 (कुँवर सौरभ सिंह)	कटनी जिले में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के हितग्राहियों को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना/मुख्यमंत्री योजना अंतर्गत अनुदान राशि का वितरण किया जाना।	(1) शेष प्रकरणों में भी वितरण की कार्यवाही जारी है। (2) शीघ्र ही वितरण किया जायेगा।		

लोक निर्माण विभाग

दिनांक: 21-07-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
1139	ध्यानाकर्षण (सूचना क्रं.112) दि. 21-07-2017 (श्री के.पी. सिंह)	शिवपुरी जिले के विधान सभा क्षेत्र पिछोर अंतर्गत ग्राम मायापुर से रेड्डी चौराहे तक सी.सी. रोड़ निर्माण, डिवाईडर, मार्ग चौड़ीकरण का कार्य किया जाना।	(1) ध्यानाकर्षण में उल्लेखित लंबाई हेतु पुनरीक्षित प्रस्ताव का तकनीकी परीक्षण प्रक्रियाधीन है। (2) वर्ष 2018 तक का उसका अनुबंध है, 70 प्रतिशत काम पूरा हो गया है, शहर के भाग का काम है उसको हम तुरंत शुरू करवायेंगे। (3) शहर के भाग का ही मैं बोल रहा हूँ, बिजली के खम्भे हटेंगे, तुरंत कार्य प्रारंभ करेंगे। (4) यह जो हमने अभी स्वीकृति दी है। माननीय सदस्य ने कुछ इलाका बढ़ाने का अनुरोध किया है उसको हम करेंगे लेकिन अभी जो हमने स्वीकृति दी है उसका कार्य हम शीघ्र प्रारंभ करा देंगे, हो ही गया है यह मानकर के आप चलिये, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही हो जायेगा।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग | दिनांक: 21-07-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1140	तारांकित प्रश्न सं.4 (प्रश्न क्रं.108) दि. 21-07-2017 (श्री कालुसिंह ठाकुर)	तारांकित प्रश्न क्रमांक 5842 दिनांक 22.03.2017 के संदर्भ में चिकित्सा क्षेत्र के सर्जन, स्पेशलिस्ट व सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सकों को माण्डव, जिला धार के अस्पताल में पदस्थ किया जाना।	(1) मैं आपके जरिए उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि डॉक्टर हम पदस्थ कर रहे हैं क्योंकि अब हमारे पास पीएससी के सिलेक्टेड डॉक्टर आ गए हैं, उनकी सूची भी बन गई है। इनको बहुत जल्दी हम डॉक्टर दे देंगे। (2) निर्देश दे दिए हैं। डॉक्टर भी पदस्थ कर देंगे और जानकारी भी एक बार फिर से भिजवा दीजिए।		
1141	तारांकित प्रश्न सं.5 (प्रश्न क्रं.1255) दि. 21-07-2017 (श्री नीलेश अवस्थी)	जबलपुर जिले के पाटन विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना।	(1) आपको पुन: एक डॉक्टर और हम देंगे। आपके पाटन के डॉक्टर्स की पूर्ति हम करेंगे। (2) बहुत सारे डॉक्टर्स इनको बहुत जल्दी, 2-3 दिन में ऑर्डर्स पहुँच रहे हैं, मिल जाएँगे। (3) आपको डॉक्टर्स मिल जाएँगे। (4) <u>आसंदी के निर्देश</u> :- माननीय मंत्री जी सुझाव की ओर नियमानुसार विधिवत ध्यान देंगे।		
1142	तारांकित प्रश्न सं.9 (प्रश्न क्रं.116) दि. 21-07-2017 (श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी)	खरगौन जिले के बड़वाह विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिकारी/कर्मचारी को आवास गृह सुविधा उपलब्ध कराई जाना।	(1) शीघ्र ही जो कार्यवाही होती है, प्रक्रिया होने के साथ ही उस निर्माण कार्य को प्रारम्भ कर दिया जायेगा। (2) हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अगले 6 माह में यह अस्पताल तैयार हो कर उपयोग होने लगेगा।		
1143	तारांकित प्रश्न सं.21 (प्रश्न क्रं.1238) दि. 21-07-2017 (श्री बाबूलाल गौर)	प्रदेश में संविदा बहुउद्देशीय कार्यकर्ता (पुरूष) को अक्टूबर 2016 से प्रश्नांकित अवधि तक का वेतन का भुगतान किया जाना।	अक्टूबर 2016 से जून 2017 तक इनके वेतन भुगतान का अनुमोदन विचाराधीन है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1144	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.20 (प्रश्न क्रं.420) दि. 21-07-2017 (श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक)	दमोह जिलान्तर्गत शासकीय अस्पतालों में साफ-सफाई में लगे ठेकेदारों द्वारा भारी अनियमितता किये जाने की जांच एवं कार्यवाही।	(1) जी हाँ। (2) यथासंभव शीघ्र।		
1145	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.32 (प्रश्न क्रं.678) दि. 21-07-2017 (श्री दुर्गालाल विजय)	जिला चिकित्सालय श्योपुर का 200 बिस्तरीय अस्पताल में उन्नयन किया जाना।	संस्था के उन्नयन की कार्यवाही प्रचलन में है।		
1146	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.36 (प्रश्न क्रं.850) दि. 21-07-2017 (श्री यादवेन्द्र सिंह)	सतना जिले के नागौद विधान सभा क्षेत्र के उचेहरा जनपद पंचायत के अंतर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्र अटरा को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाया जाना।	जी हाँ, प्रमुख सचिव को उक्त प्रस्ताव दिया गया।		
1147	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.42 (प्रश्न क्रं.952) दि. 21-07-2017 (श्री अनिल जैन)	टीकमगढ़ जिले के विधान सभा क्षेत्र निवाड़ी के ग्राम पुछीकरगुंवा को माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किया जाना।	(1) उन्नयन की कार्यवाही प्रचलन में है। (2) विभाग के निर्णय उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।		
1148	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.50 (प्रश्न क्रं.1113) दि. 21-07-2017 (श्रीमती ऊषा चौधरी)	स्वास्थ्य विभाग द्वारा सीधी भर्ती के कुष्ठ कर्मचारियों, एन.एम.एस. एवं एन.एम.ए. को समयमान वेतन का लाभ दिया जाना।	(1) जी हाँ। निर्देशों के अनुक्रम में वित्तीय सलाहकार के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (2) उत्तरांश (ग) अनुसार कार्यवाही प्रचलन में है।		
1149	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.75 (प्रश्न क्रं.1480) दि. 21-07-2017 (पं. रमेश दुबे)	जिला छिंदवाड़ा में आउटसोर्स से रखे गये सफाई कर्मचारियों की काटी गई पी.एफ. राशि कर्मचारियों के खाते में जमा किया जाना।	(1) शेष राशि जमा करने की कार्यवाही प्रचलन में है। (2) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला लेखा प्रबंधक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1150	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.85 (प्रश्न क्रं.1559) दि. 21-07-2017 (श्री दिनेश राय (मुनमुन))	सिवनी जिला के शासकीय अस्पतालों में साफ-सफाई हेतु नियत की गई एजेंसी के ठेकेदारों द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच एवं कार्यवाही।	(1) क्षेत्रीय संचालक जबलपुर से जांच कराई गई, कार्यवाही प्रचलन में है। (2) जॉंच उपरान्त गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।		
1151	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.88 (प्रश्न क्रं.1574) दि. 21-07-2017 (श्री नारायण सिंह पँवार)	सिविल अस्पताल ब्यावरा, जिला राजगढ़ में सोनोग्राफी मशीन स्थापित की जाना।	जी हॉं। यथासंभव शीघ्र।		
1152	अतारांकित प्रश्न सं.33 (प्रश्न क्रं.900) दि. 21-07-2017 (श्री अरूण भीमावद)	जिला शाजापुर स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्र पनवाड़ी का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन किया जाना।	(1) जी हॉं। (2) उप स्वास्थ्य केन्द्र पनवाड़ी का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन का प्रस्ताव परीक्षणाधीन है।		
1153	अतारांकित प्रश्न सं.46 (प्रश्न क्रं.1139) दि. 21-07-2017 (श्री सुखेन्द्र सिंह)	रीवा जिले के मऊगंज विधान सभा क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केन्द्र पिपराही तथा सामुदायिक स्वास्थ्य मऊगंज का उन्नयन किया जाना।	(1) उन्नयन की कार्यवाही प्रचलन में है। (2) उन्नयन की कार्यवाही परीक्षणाधीन है।		
1154	अतारांकित प्रश्न सं.48 (प्रश्न क्रं.1167) दि. 21-07-2017 (डॉ. गोविन्द सिंह)	जिला भिण्ड स्थित लहार के ब्लाक मेडिकल ऑफिसर एवं चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरहा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही समय-सीमा में की जाना।	परीक्षणोपरांत संबंधितों के विरूद्ध गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार आगामी कार्यवाही शीघ्र की जावेगी।		
1155	अतारांकित प्रश्न सं.91 (प्रश्न क्रं.1576) दि. 21-07-2017 (श्री नारायण सिंह पँवार)	सिविल अस्पताल ब्यावरा, जिला राजगढ़ के नवीन पोस्ट मार्टम भवन की स्वीकृति दी जाना।	जी हॉं।		
1156	अतारांकित प्रश्न सं.95 (प्रश्न क्रं.1599) दि. 21-07-2017 (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय)	रतलाम जिले के जावरा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत पिपलौदा एवं जावरा तहसील में ग्रामीण उप स्वास्थ्य केन्द्र प्रारंभ किया जाना।	प्रक्रिया प्रचलन में है।		
1157	अतारांकित प्रश्न सं.113 (प्रश्न क्रं.1699) दि. 21-07-2017 (श्री बाला बच्चन)	प्रश्न क्रमांक 6883, दिनांक 22.03.2017 के संदर्भ में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बड़वानी द्वारा गठित जांच समिति के जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना।	जॉंच प्रचलन में है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन

विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग

दिनांक: 21-07-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1158	अतारांकित प्रश्न सं.22 (प्रश्न क्रं.664) दि. 21-07-2017 (श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया)	जिला मुरैना को विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जनजाति बस्ती विकास योजना वर्ष 2017-18 में प्राप्त प्रस्तावों पर कार्यवाही।	प्रस्ताव के परीक्षण की कार्यवाही की जा रही है।		
1159	अतारांकित प्रश्न सं.41 (प्रश्न क्रं.1034) दि. 21-07-2017 (श्री मुरलीधर पाटीदार)	आगर एवं शाजापुर जिला अंतर्गत विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति बस्तियों में विद्युतीकरण कार्य पूर्ण किया जाना तथा सुसनेर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत अन्य विभाग की योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु कार्य योजना बनाई जाना।	(1) शेष कार्यवाही प्रचलन में है। (2) जी हाँ। कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, सुसनेर से कार्यों के प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति चाही गई है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन

स्कूल शिक्षा विभाग

दिनांक: 21-07-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
1160	तारांकित प्रश्न सं.2 (प्रश्न क्रं.859) दि. 21-07-2017 (श्री लाखन सिंह यादव)	ग्वालियर जिले के शासकीय प्राथमिक विद्यालय हुकमगण जनपद पंचायत घाटीगांव में पदस्थ प्रधान अध्यापक श्री विजय सिंह बंजारा के फर्जी जाति प्रमाण पत्र की जांच एवं कार्यवाही।	(1) जिस अधिकारी/कर्मचारी ने बिना पूरी जांच के उसको पदोन्नति का लाभ दिया है उन लोगों पर हम सख्त कार्यवाही करेंगे। (2) प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है पूरी-पूरी गलती उस शिक्षक की नहीं है। हमारे विभाग से भी कहीं न कहीं लापरवाही इसमें हुई है। इसलिये इसकी समग्र जांच करवायेंगे। इसमें बड़े लेवल पर जो अधिकारी यहां पर भी दोषी हैं, उन पर भी कार्यवाही करेंगे। जिला अधिकारी पर भी कार्यवाही करेंगे और उस संबंधित टीचर को वहां से हटाकर के जांच करवायेंगे। आज ही वह हट जायेगा। (3) जिला और प्रदेश स्तर के जिन अधिकारियों ने गड़बड़ी की है, उनके विरूद्ध भी कार्यवाही कर रहे हैं। उस मास्टर को वहां से हटा दिया गया है। उसके जाति प्रमाण-पत्र को हम जांच कमेटी को भेज देंगे।		
1161	तारांकित प्रश्न सं.3 (प्रश्न क्रं.1404) दि. 21-07-2017 (डॉ. कैलाश जाटव)	नरसिंहपुर जिले के विधान सभा क्षेत्र गोटेगांव में वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में विभाग द्वारा विद्यालयों में शौचालय निर्माण में अनियमितता किये जाने की जांच एवं कार्यवाही।	(1) विधायक जी को जहां-जहां शिकायत है उसकी सूची मिल जाएगी तो निश्चित रूप से यहां से कमेटी भेजकर हम जांच करवा लेंगे। (2) आसंदी के निर्देश :- आप पूरे की जांच करा लीजिए। (3) अध्यक्ष महोदय, ठीक है।		
1162	तारांकित प्रश्न सं.6 (प्रश्न क्रं.721) दि. 21-07-2017 (श्री सोहनलाल बाल्मीक)	नगरीय निकायों की शैक्षणिक संस्थाओं में अतिशेष अध्यापकों को युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत पदस्थ्य किया जाना।	(1) सदन को आश्वस्त करता हूँ कि किसी का रिश्तेदार कोई जुगाड़ से अगर वह विषय-वस्तु का टीचर नहीं है वह वहां पर नहीं रह पाएगा, यह मैं आपसे वादा करता हूँ। (2) नगरीय निकाय ने जिनका सलेक्शन किया है उन्हें नगरीय निकाय में ही रखा जाएगा और जो ग्रामीण निकाय से नगरीय निकाय में आ गए हैं उनको वापस किया जाएगा।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1163	तारांकित प्रश्न सं.7 (प्रश्न क्रं.1495) दि. 21-07-2017 (श्री सूबेदार सिंह रजौधा)	मुरैना जिला अंतर्गत जनपद पंचायत कैलारस में शास्त्री हाईस्कूल कोढ़ा के फर्जी संचालन कर फर्जी नामों पर छात्रवृत्ति के द्वारा लाखों रूपये के घोटाले की जांच एवं कार्यवाही।	(1) करवा लेंगे। (2) सोमवार को ही हमारे अधिकारी और कलेक्टर से संयुक्त जांच कराके जो भी कमियां होंगी, उस पर कार्यवाही करेंगे।		
1164	तारांकित प्रश्न सं.8 (प्रश्न क्रं.1347) दि. 21-07-2017 (श्री जालम सिंह पटेल)	(1) नरसिंहपुर जिले में अशासकीय विद्यालयों द्वारा विभिन्न मदों में अत्यधिक शुल्क लिये जाने की प्राप्त शिकायतों की जांच समय-सीमा में कराई जाकर जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना। (2) प्रायवेट स्कूलों द्वारा भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट व सरकार के निर्णय अनुसार आर.टी.ई. आदि अंतर्गत 25 प्रतिशत गरीब बच्चों के एडमिशन संबंधी नियम का पालन न किये जाने की जांच।	(1) उसमें कुछ पुस्तकों के निर्धारण के लिये भी हम लोग विचार कर रहे हैं। (2) एक महीने के अन्दर जांच करके आपको जानकारी बता दी जायेगी।		
1165	तारांकित प्रश्न सं.11 (प्रश्न क्रं.1458) दि. 21-07-2017 (श्री शंकर लाल तिवारी)	सतना जिला अंतर्गत प्राचार्यो द्वारा पुस्तकों का क्रय कर बच्चों को वितरण किये जाने में अनियमितता संबंधी प्राप्त शिकायतों की जांच समय-सीमा में कराई जाकर जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना।	(1) जांच करा रहे हैं। (2) समय-सीमा में करा देंगे। (3) <u>आसंदी के निर्देश</u> :- मंत्री जी समय सीमा में जांच कराएं।		
1166	तारांकित प्रश्न सं.13 (प्रश्न क्रं.1443) दि. 21-07-2017 (श्री सुदेश राय)	सीहोर जिला अंतर्गत वर्ष 2014 में विधान सभा क्षेत्र सीहोर में नवीन शाला भवन पट का निर्माण समय-सीमा में कराया जाकर उसका अधिपत्य शिक्षा विभाग को सौंपा जाना।	03 माह में पूर्ण कर लिया जायेगा।		
1167	तारांकित प्रश्न सं.22 (प्रश्न क्रं.748) दि. 21-07-2017 (श्री मोती कश्यप)	कटनी जिले के विकासखण्ड ढीमरखेड़ा के ग्राम पंचायत घटवारा में शासकीय हाईस्कूल का हायर सेकेण्ड्री स्कूल में उन्नयन किया जाना।	प्रदेश में उन्नयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
1168	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.11 (प्रश्न क्रं.280) दि. 21-07-2017 (श्री विष्णु खत्री)	भोपाल जिले के बैरसिया विधान सभा क्षेत्र के ग्राम डुंगरिया, सुकलिया, बरखेड़ा बरामद, कुल्होर, लाम्बाखेड़ा, मजीदगढ़, झिरनिया एवं बागसी में संचालित माध्यमिक शाला से हाईस्कूल में उन्नयन किया जाना।	उन्नयन कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1169	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.38 (प्रश्न क्रं.875) दि. 21-07-2017 (श्री गोवर्धन उपाध्याय)	विदिशा जिले के विधान सभा क्षेत्र सिरोंज के पूर्व विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी श्री दिवान सिंह पर संस्थित जांच समय-सीमा में पूर्ण कराई जाकर जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना।	कार्यवाही अपर कलेक्टर न्यायालय में प्रचलित है।		
1170	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.40 (प्रश्न क्रं.920) दि. 21-07-2017 (श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर)	टीकमगढ़ जिले में स्कूल चले हम अभियान कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि को न बुलाये जाने की जांच व कार्यवाही।	संबंधित अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है।		
1171	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.45 (प्रश्न क्रं.1038) दि. 21-07-2017 (श्री जितेन्द्र गेहलोत)	उज्जैन जिला के नागदा में बिरला के प्रायवेट स्कूलों में फीस वृद्धि किये जाने की जांच एवं कार्यवाही।	जॉंच उपरांत विद्यालयों को कलेक्टर द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये है। उत्तर प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।		
1172	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.59 (प्रश्न क्रं.1311) दि. 21-07-2017 (श्री केदारनाथ शुक्ल)	सतना जिला के अशासकीय चन्द्रशेखर आजाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अरगट में व्याख्याता संवर्ग के संविलियन में आरक्षण नियमों का पालन किया जाना।	निकायधीन करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।		
1173	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.90 (प्रश्न क्रं.1598) दि. 21-07-2017 (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय)	रतलाम जिले के जावरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत मॉडल स्कूल जावरा के निर्माणाधीन स्टॉफ क्वार्टरों के गुणवत्ताहीन निर्माण के दोषी अधिकारियों व वित्तीय हानि हेतु जिम्मेदार ठेकेदार मेसर्स रावत कंस्ट्रक्शन शिवपुरी के विरूद्ध कार्यवाही की जाना तथा अपूर्ण कार्य पूर्ण कराया जाना।	(1) अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलन में है। (2) कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। तकनीकी प्राक्कलन बनाया जा रहा है।		
1174	अतारांकित प्रश्न सं.16 (प्रश्न क्रं.454) दि. 21-07-2017 (श्री सुन्दरलाल तिवारी)	संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण जबलपुर जिला अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग में दिनांक 08 मार्च 2017 के अतारांकित प्रश्न क्रमांक 3360 के संदर्भ में प्राप्त शिकायतों की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	(1) जी हाँ। जॉंच प्रचलित है। (2) जॉंच के निष्कर्ष पर निर्भर करेगा।		
1175	अतारांकित प्रश्न सं.17 (प्रश्न क्रं.455) दि. 21-07-2017 (श्री सुन्दरलाल तिवारी)	रीवा जिला अंतर्गत विद्यालयों का निर्माण कार्य समय-सीमा में पूर्ण नहीं करने वाले ठेकेदारों से अनुबंधानुसार प्रकरण दर्ज कर राशि की वसूली की जांच एवं अपूर्ण कार्यो को शीघ्र पूर्ण कराया जाना तथा संविदा नियुक्ति समाप्त की जाना।	(1) प्रकरण दर्ज कर राशि वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। (2) संविदा नियुक्ति समाप्त किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। प्रगतिरत 104 कार्यों को पूर्ण कराने की कार्यवाही प्रचलन में है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1176	अतारांकित प्रश्न सं.30 (प्रश्न क्रं.852) दि. 21-07-2017 (श्री यादवेन्द्र सिंह)	सतना जिला अंतर्गत जनपद पंचायत रामपुर बघेलान के ग्राम पंचायत कोनिया कोठार के पंचायत सचिव द्वारा पद का दुरूपयोग कर अपनी पत्नी को अपात्र होने पर भी शिक्षक के पद का लाभ दिये जाने की जांच एवं कार्यवाही।	जिला परियोजना समन्वयक, सतना को प्रकरण में जॉंच हेतु निर्देश दिये गये है। जांच पश्चात् पाये गये तथ्यों के अनुसार नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी।		
1177	अतारांकित प्रश्न सं.35 (प्रश्न क्रं.945) दि. 21-07-2017 (श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार)	मुरैना जिला अंतर्गत सुमावली विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में हाईस्कूल व हायर सेकेण्ड्री स्कूलों के भवन निर्माण हेतु भूमि का आवंटन एवं शीघ्र निविदा आमंत्रित कर भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाना।	भूमि का चयन कर टेण्डर प्रक्रिया की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
1178	अतारांकित प्रश्न सं.55 (प्रश्न क्रं.1261) दि. 21-07-2017 (श्री नीलेश अवस्थी)	जबलपुर जिला अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक/माध्यमिक शाला भवन का निर्माण कार्य समय-सीमा में पूर्ण नहीं करने वाली निर्माण एजेंसी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना एवं अपूर्ण कार्यो को शीघ्र पूर्ण किया जाना।	अपूर्ण कार्यों को नियमानुसार निर्माण एजेंसी पर कार्यवाही करते हुए पूर्ण करा जावेगा।		
1179	अतारांकित प्रश्न सं.68 (प्रश्न क्रं.1396) दि. 21-07-2017 (श्री हरदीप सिंह डंग)	जिला मंदसौर के सुवासरा विधान सभा क्षेत्र में प्राथमिक से माध्यमिक तथा माध्यमिक विद्यालय से हाईस्कूल और हाईस्कूल से हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में उन्नयन किया जाना।	जी हॉं। 2017-18 में स्कूल उन्नयन की कार्यवाही प्रचलन में है। उन्नयन की सूची को अंतिम रूप दिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
1180	अतारांकित प्रश्न सं.87 (प्रश्न क्रं.1542) दि. 21-07-2017 (श्री प्रहलाद भारती)	शिवपुरी जिला अंतर्गत पौहरी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत में संचालित शासकीय हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में कृषि संकाय प्रारंभ किया जाना।	जी हॉं। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
1181	अतारांकित प्रश्न सं.105 (प्रश्न क्रं.1664) दि. 21-07-2017 (श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे)	जिला भिण्ड के विधान सभा क्षेत्र अटेर में अतिथि शिक्षकों का समय पर वेतन भुगतान नहीं किये जाने के लिए जिम्मेदार प्राचार्यो के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना एवं शिक्षकों के लंबित वेतन का भुगतान किया जाना।	संबंधित प्राचार्यों के विरूद्ध जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये है।		
1182	अतारांकित प्रश्न सं.109 (प्रश्न क्रं.1680) दि. 21-07-2017 (कुँवर सौरभ सिंह)	लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के आदेशानुसार कटनी जिला अंतर्गत जिला शिक्षा अधिकारी एवं विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में 03 वर्षो से अधिक समय से पदस्थ लिपिकों का नियमानुसार अन्यत्र स्थानान्तरण किया जाना एवं नियमों का पालन न करने वाले जिम्मेदारों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	संबंधित का प्रतिवाद प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।		
1183	अतारांकित प्रश्न सं.111 (प्रश्न क्रं.1685) दि. 21-07-2017 (श्री सोहनलाल बाल्मीक)	छिंदवाड़ा जिले के परासिया विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2016-17 व वर्ष 2017-18 में माध्यमिक शाला का हाईस्कूलों एवं हाईस्कूलों का हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में उन्नयन किया जाना।	राज्य बजट अंतर्गत शालाओं के उन्नयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1184	ध्यानाकर्षण (सूचना क्रं.275) दि. 21-07-2017 (चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी)	(1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की सूची में जिला छतरपुर में फर्जी तरीके से संचालित अशासकीय डी.एल.एड. महाविद्यालय पीताम्बरा पीठ शिक्षा प्रसारणीय इंस्टीट्यूट की जांच व कार्यवाही। (2) एन.सी.टी.ई.आर. की सूची में नाम नहीं होने पर चल रहे कॉलेजों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना ।	(1) जांच प्रतिवेदन के आधार पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को मान्यता समाप्त करने के लिये लिख दिया जाएगा । यदि आवश्यकता हुई तो तत्काल एफ.आई.आर. भी दर्ज की जावेगी । (2) हम सोमवार को एक टीम भेजकर, इसकी विस्तार से जांच करवायेंगे और केवल यही नहीं डी.एड., बी.एड. कॉलेज, जितने भी प्रायवेट हैं, उनकी बहुत लम्बे समय से शिकायतें आ रही हैं । हमारे जो संभागीय अधिकारी है, जे.डी. हैं, उनको भी हम निर्देशित कर रहे हैं कि अपने-अपने क्षेत्र में जितने भी डी.एड., बी.एड. कॉलेज हैं, 7 दिन में उसकी रिपोर्ट शासन को भेजें तथा रिपोर्ट मिलने के बाद जरूरत पड़ी तो एफ.आई.आर. करवाएंगे एवं अगर जरूरत पड़ी तो भारत सरकार को संबद्धता निरस्त करने के लिए भेज दिया जाएगा । (3) हम 7 दिनों के अन्दर उनकी जांच करवाएंगे और जे.डी. से रिपोर्ट मिलने के बाद उचित कार्यवाही, सख्त कार्यवाही की जायेगी । (4) जिनको मान्यता नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी में अभी आया है तो प्रवेश का प्रश्न ही नहीं उठता है । अगर उसके बाद भी प्रवेश लेता है तो एफ.आई.आर. कर देंगे । (5) सोमवार को हम जांच कमेटी भेज देंगे, जांच के बाद जो भी तथ्य पाए जाएंगे, चाहे एफ.आई.आर. करना हो, या राष्ट्रीय शिक्षा परिषद को मान्यता निरस्त करने के लिए पत्र लिखना हो तो हम यह जांच के बाद ही तो लिख पाएंगे । (6) हम कलेक्टर को निर्देश जारी कर रहे हैं और कलेक्टर की रिपोर्ट शाम तक आ जाएगी, उसके बाद कोई निर्णय लें लेंगे । (7) सारे मध्यप्रदेश में जितने भी डीएड और बीएड के प्रायवेट कॉलेज है, 7 दिन में सभी की जांच जीएडी से करवाकर दे देंगे ।		